

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :114 / प्र0अ0(त0स0) / जोन-1 / शमन / 2014-15 दिनांक 26 / 04 / 2016

विनियमितीकरण-पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक शमन निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री देवराज जग्गी पुत्र स्व0 एस0एन0 जग्गी द्वारा नजूल फ्री होल्ड साईट नं0-21C/D4 सिविल स्टेशन, सरदार पटेल मार्ग, परगना व तहसील-सदर जिला इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
- स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
- पूर्व स्वीकृत मानचित्र में अंकित शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत् प्रभावी रहेंगी।
- माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और कियों गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

29/4/2016

26/04/2016
(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी
02/2/16

सा चिह्न/चिह्नित क्षेत्रों में। पूर्ण रूप से प्रयुक्त होने के बाद ही इस क्षेत्र का वास्तविक उपयोग किया जा सकेगा।

पार्किंग/पार्किंग स्थानों का निर्माण करना आवश्यक है।


युक्त मात्रा में निर्माण करना आवश्यक है।

पार्किंग क्षेत्रों का निर्माण करना आवश्यक है।

युक्त मात्रा में निर्माण करना आवश्यक है।



EXISTING FIRST FLOOR SECOND FLOOR TERRACE PLAN SITE PLAN



Sl. No.	AREA CHART	AREA
1	TOTAL AREA OF PLOT	2254
2	EXISTING AREA	1044
3	OPEN AREA GROUND FLOOR	480
4	EXISTING GROUND FLOOR	564
5	EXISTING FIRST FLOOR	564
6	EXISTING SECOND FLOOR	564
7	EXISTING AREA WITH NJR	1120
8	EXISTING AREA WITH NJR + EXISTING	1020
9	EXISTING AREA WITH NJR	1020
10	GROUND COVERAGE - 50%	
11	F.A.S. - 25% (1035)	
12	EXISTING SHOWN PLAN	
13	COMPOUND	

COMPOUND AND EXISTING SANCTIONED BUILDING PLAN ON PART OF SITE NO. 21-0/24, CIVIL STATION

SARLES PATEL MARG, ALLAHABAD.

OWNER - SRI DEO RAJ JAGGI

SH. LATE DR. S. N. JAGGI

SCALE - 1:100

Signature
 Mr. Prakash Kumar Srivastava
 B.Tech. (Civil)
 A.C.A. Approved Architect
 Building Control Officer
 P.O. Box No. 100
 Telephone No. A-541372-C
 100/101, 102/103, 104/105
 The New Society, Civil Station
 Allahabad - 201 002